

उपायुक्त -सह- जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, रामगढ़।

(राजस्व शाखा)

-:: अनापत्ति प्रमाण-पत्र ::-

परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, धनबाद का पत्रांक-11015/5/पीडी/डीएचएन/FCI/NH-320/774, दिनांक-16.07.2022 के आलोक में भारतमाला परियोजना के एन0एच0 320 एवं 320बी0 (जैना मोड़-गोला-ओरमांड़ी सेक्शन तक) के चौड़ीकरण/चार लेन निर्माण किया जाना है। उक्त परियोजना निर्माण हेतु अंचल अधिकारी, दुलमी के पत्रांक-667, दिनांक-22.10.2022 एवं अनुमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ के पत्रांक-1700/रा0, दिनांक-28.10.2022 के द्वारा दुलमी अंचल अन्तर्गत ग्राम-ब्यांग में चिन्हित गैरमजरूआ खास जंगल-झाड़ी भूमि रकबा-0.3331 हे0 (0.8231 एकड़) Deemed Forest भूमि (जंगल-झाड़ी इत्यादि) के अनापत्ति प्रमाण पत्र का अनुशंसा किया गया है। उक्त भूमि की विवरणी निम्नवत है:-

क्र0सं0	अंचल का नाम	मौजा	थाना सं0	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकबा (हेक्टेयर में)	विस्म भूमि
1	दुलमी	ब्यांग	167	83	510	0.3331	गैरमजरूआ खास जंगल-झाड़ी
कुल-						0.3331 Hec or 0.8231 Acre	

उक्त परियोजना हेतु चिन्हित भूमि कुल रकबा-0.3331 हे0 (0.8231 एकड़) में सन्निहित है तथा अधिसूचित वन भूमि, संरक्षित वन भूमि एवं अन्य वन भूमि से बाहर है, के अपयोजन हेतु सैद्धांतिक रूप से कोई आपत्ति नहीं है, बशर्ते माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार से पूर्वानुमति प्राप्त कर ली जाय। पूर्वानुमति प्राप्त होने के पश्चात् इसके विधिवत हस्तान्तरण हेतु प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा गैरमजरूआ भूमि के हस्तान्तरण के प्रस्ताव की प्रक्रिया की तरह प्रस्ताव समर्पित किया जायेगा। गैरमजरूआ जंगल-झाड़ी (Deemed Forest) भूमि के सशुल्क हस्तान्तरण/लीज बंदोबस्ती हेतु राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा राज्यादेश निर्गत किया जायेगा।

ह0/-

उपायुक्त,
रामगढ़।

ज्ञापांक 1666 / रा0, रामगढ़, दिनांक 01/11/2022

- प्रतिलिपि :- अंचल अधिकारी, दुलमी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि :- जिला कल्याण पदाधिकारी, रामगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि :- जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, रामगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि :- परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, धनबाद को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :- अनुमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़/भूमि सुधार उपसमाहर्ता, रामगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि :- वन प्रमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि :- आयुक्त उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :- सरकार के संयुक्त सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

राजस्व विभाग
29/10/2022
उपायुक्त,
रामगढ़।
Project Director
NHAI, PIU, Dhanbad

उपायुक्त -सह- जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, रामगढ़। (राजस्व शाखा)

-:: अनापत्ति प्रमाण-पत्र ::-

परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, धनबाद का पत्रांक-11015/5/पीडी/डीएचएन/FCI/NH-320/774, दिनांक-16.07.2022 के आलोक में भारतमाला परियोजना के एन0एच0 320 एवं 320बी0 (जैना मोड़-गोला-ओरमांझी सेक्शन तक) के चौड़ीकरण/चार लेन निर्माण किया जाना है। उक्त परियोजना निर्माण हेतु अंचल अधिकारी, गोला के पत्रांक-1568, दिनांक-22.10.2022 एवं अनुमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ के पत्रांक-1701/रा0, दिनांक-28.10.2022 के द्वारा गोला अंचल अन्तर्गत विभिन्न ग्रामों में चिन्हित गैरमजरूआ खास जंगल-झाड़ी भूमि रकबा-3.8939 हे० (9.6220 एकड़) Deemed Forest भूमि (जंगल-झाड़ी इत्यादि) के अनापत्ति प्रमाण पत्र का अनुशंसा किया गया है। उक्त भूमि की विवरणी निम्नवत है:-

क्र०सं०	अंचल का नाम	मौजा	थाना सं०	खाता नं०	प्लॉट नं०	रकबा (हेक्टेयर में)	किस्म भूमि
1	गोला	चेपादारू	68	55	102	0.3107	जंगल
					420	0.1740	जंगल झाडी
					410	0.2550	जंगल
					86	0.1304	
					98	0.2852	
2		डभातू	25	63	520	1.8249	जंगल
3		हेमन्तपुर	52	47	828	0.2449	
4		मगनपुर	62	89	792	0.5092	
					94	0.1596	
कुल—						3.8939 Hec or 9.6220 Acre	

उक्त परियोजना हेतु चिन्हित भूमि कुल रकबा-3.8939 हे० (9.6220 एकड़) में सन्निहित है तथा अधिसूचित वन भूमि, संरक्षित वन भूमि एवं अन्य वन भूमि से बाहर है, के अपयोजन हेतु सैद्धांतिक रूप से कोई आपत्ति नहीं है, बशर्ते माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार से पूर्वानुमति प्राप्त कर ली जाय। पूर्वानुमति प्राप्त होने के पश्चात् इसके विधिवत हस्तान्तरण हेतु प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा गैरमजरूआ भूमि के हस्तान्तरण के प्रस्ताव की प्रक्रिया की तरह प्रस्ताव समर्पित किया जायेगा। गैरमजरूआ जंगल-झाड़ी (Deemed Forest) भूमि के सशुल्क हस्तान्तरण/लीज बंदोबस्ती हेतु राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा राज्यादेश निर्गत किया जायेगा।

ह०/-
उपायुक्त,
रामगढ़।

ज्ञापांक.....1665/रा०, रामगढ़, दिनांक.....०१/११/२०२२

- प्रतिलिपि :- अंचल अधिकारी, गोला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
 प्रतिलिपि :- जिला कल्याण पदाधिकारी, रामगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
 प्रतिलिपि :- जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, रामगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
 प्रतिलिपि :- परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, धनबाद को सूचनार्थ प्रेषित।
 प्रतिलिपि :- अनुमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़/भूमि सुधार उपसमाहर्ता, रामगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
 प्रतिलिपि :- वन प्रमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
 प्रतिलिपि :- आयुक्त उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग को सूचनार्थ प्रेषित।
 प्रतिलिपि :- सरकार के संयुक्त सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

Project Director
NHAI, PIU, Dhanbad

साक्षी/निर्वा
२५.१०.२०२२
उपायुक्त,
रामगढ़।